



(भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक)
पंजीकृत व प्रधान कार्यालय : युनाइटेड इंडिया हाउस, 24 व्हाइट रोड, चेन्नई - 600 014.

(Subsidiary of General Insurance Corporation of India)
Regd. & Head Office : United House, 24, Whites Road, Chennai - 600 014.

गृहधारक बीमा - प्रस्ताव प्रपत्र / HOUSEHOLDER'S INSURANCE PROPOSAL FORM

एजेंसी AGENCY

बीमाधारक INSURED

1. प्रस्तावक का पूरा नाम NAME OF PROPOSER IN FULL _____
2. आवासीय पता RESIDENTIAL ADDRESS _____
3. व्यवसाय OCCUPATION _____

खंड क्र. SECTION NO.	सम्पत्ति का विवरण DESCRIPTION OF PROPERTY	बीमित राशि Sum Insured रु. / Rs.	दर प्रति एक हजार Rate per mile	प्रीमियम (कंपनी के उपयोग के लिए) Premium (For the use of the Co.) रु. / Rs.
I अग्नि तथा संबन्ध आपदाएं Fire and Allied Perils	(अ) बिल्डिंग (केवल 'ए' श्रेणी के निर्माणवाली) (A) Building (of Class-A Construction only) (ब) अंतर्वस्तुएं : (जवाहरत व मूल्यवान वस्तुओं को छोड़कर) प्रस्तावक व उसके साथ हमेशा रहनेवाले परिवार के सदस्यों की हो (B) Contents : (Excluding Jewellery & Valuables) Belonging to the proposer and members of his family permanetly residing with him / her....		0.50 0.50	
II गबन या चोरी समेत संधमारी तथा गृहभेदन Burglary and Housebreaking Including Larceny of theft	अंतर्वस्तुएं : उपर्युक्त पते पर दर्शाएँ परिसरों में रखी सभी अंतर्वस्तुएं CONTENTS : All contents in the Permisses stated at the above address. नोट : बीमाकृत वस्तुओं का मूल्य उपर्युक्त मद 1(ब) में उल्लिखित मूल्य के सममूल्य का होना चाहिए NOTE : Insurance on contents should be for value equivalent to the value mentioned under item 1(B) above.		2.40	
III सर्व जोखिम All Risks	जवाहरत तथा मूल्यवान वस्तुएं Jewellery & Valuables : जवाहरत तथा मूल्यवान वस्तु का वर्णन Description of Jewellery and Valuables : क्रमांक S. No. विवरण Description मूल्य Value (यदि जगह पर्याप्त नहीं है तो ब्यौर देते हुए अतिरिक्त शीट संलग्न करें) (If space not sufficient please attach separate sheet giving details)		10.05	
IV प्लेट ग्लास Plate Glass	प्लेट ग्लास का वर्णन तथा उसकी किंमत Description of Plate Glass and its value : क्रमांक S. No. विवरण Description मूल्य Value		10.00	
V घरेलू उपकरणों का विभाग Breakdown of Domestic Appliance	प्रस्तावक के सभी विद्युतीय , इलेक्ट्रॉनिक तथा मशीनी सयंत्र, उपकरणों या गैजिट्स का वर्णन Description of all Electrical, Electronic and Mechanical Appliances ,Apparatuses or Gadgets belonging to the Proposer क्रमांक S. No. विवरण Description निर्माण का वर्ष Year of Make किंमत Value कुल Total _____		2.50	
VI टी. वी. सेट T. V. Set	निर्माण Make प्रकार Model निर्माण वर्ष year of Make मूल्य Value		10.05	
VII पेडल सायकल Pedal Cycles	मेक तथा निर्माता का नाम Make & Name of Manufacturer निर्माण वर्ष Year of Mfg. फ्रेम क्र. Frame No. उपसाधनों समेत मूल्य Value including Accesssories 1. 2. 3. रु. Rs. रु. Rs. रु. Rs.		20.05	
VIII बैगेज बीमा Baggage Insurance	भारत में कहीं भी यात्रा के दौरान वहन किए जानेवाले व्यक्तिगत बैगेज, व्यक्तिगत सामान तथा अन्य वस्तुओं का ब्यौरा Details of Personal Baggage Personal Effects and Other articles carried during the period of Travel anywhere in India. यात्रा सामान Baggages विवरण Description मूल्य Value		7.55	

गृहधारक बीमा (सामान्य जानकारी)

गृहधारक-बीमा पॉलिसी द्वारा छोटे गृहधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक पॉलिसी के अन्तर्गत अनेक आपदाओं को अन्यथा जिनके प्रति अलग से बीमा संरक्षण दिया जाता है को एकबद्ध कर बीमा संरक्षण दिया जाता है यह पॉलिसी निम्नांकित को बीमा संरक्षण प्रदान करती है।

खण्ड I (ए) केवल श्रेणी "ए" की निर्माण वाली बिल्डिंग और (बी) अन्तर्वस्तुएं : अग्नि (विस्फोट से उत्पन्न अग्नि सहित) तड़ित, घरेलू उपकरणों में गैस का विस्फोट, पानी के टैंक संयंत्र या पाइप का परिवाह या फट जाना, वायुवान या उससे गिराये गये सामान, उपद्रव और हड़ताल, भूकम्प (अग्नि और / या आघात) दुर्भावनाजन्य कृत्य, बाढ़, आप्लावन, झंझावात, चक्रवात, घसकन और भूस्खलन (चट्टान खिसकने सहित) क्षति, समाघात क्षति

क्लास 'ए' निर्माण :

बिल्डिंगों की बाहरी दीवार (दिवारें) पत्थर / ईट / कांक्रीट ब्लाक / एसबेस्टॉस शीट क्लेडिंग और / या मेटल शीट क्लेडिंग / ग्लास पैनल / अंशतः या पूर्णतः खुले किनारे तथा आर. सी. सी. छत / मशीनरी / एसबेस्टॉस कांक्रीट शीट / मेटल शीट / टाइल्स / लकड़ी के शिगेल या बोर्डिंग आर. सी. सी. / स्टील / लकड़ी के फ्रेम वर्क पर बोर्डिंग की होगी।

महत्वपूर्ण सूचना :- 1. अज्वलनशील छत के लिए घास, सूखी घास या रीड की पतली परत स्वीकृत है।
2. स्काईलाइट के लिए थर्मोसेटिंग रेसिन, फाइबर ग्लास, रिन्फोर्स्ड शीट का प्रयोग स्वीकृत करते हैं।

खण्ड II संधमारी तथा गृहवेधन गबन या चोरी :- बीमाधारक के परिसर में या उसके द्वारा अधिकृत सम्पत्ति की हानि या क्षति।

खण्ड III सर्व जोखिम :- अनुसूची में निर्दिष्ट दायित्व सीमा के अधीन जवाहरात तथा मूल्यवान वस्तुओं को भारत में कहीं भी दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुई हानि या क्षति।

खण्ड IV प्लेट ग्लास :- अनुसूची में निर्दिष्ट दायित्व सीमा के अधीन जड़ित प्लेट ग्लासकी दुर्घटनात्मक क्षति से हुई हानि।

खण्ड V घरेलू उपकरणों का विभंग :- घरेलू इलेक्ट्रीकल इलेक्ट्रॉनिक या मशीन उपकरणों, यंत्र या गैजिट की मशीनी और / या विद्युतीय विभंग के कारण उत्पन्न क्षति।

खण्ड VI टी.वी. सेट :- टेलिविजन सेट को अग्नि, तड़ित, घरेलू उपकरणों में गैस का विस्फोट, पानी की टंकी की फटना या परिवाही, एयरकंडिशनर या उससे गिरी वस्तुएं, भूकम्प, अग्नि और / या शॉक, बाढ़, आप्लावन, झंझावात, चक्रवात और उसी प्रकार की आपदा, दंगा, हड़ताल या दुर्भावनाजन्य कृत्य, संधमारी या गृहभेदन या चोरी, बाह्य दुर्घटना और मशीनी या विद्युतीय विभंग से उत्पन्न हानि या क्षति। विधिक दायित्व रु. 25,000/- तक और अंटीना गिरने से बीमाधारक के स्वयं संपत्ति की हानि रु. 3,000/- तक सीमित होगी।

खण्ड VII पेडल साइकिल - अग्नि, तड़ित, बाह्य विस्फोट, उपद्रव और हड़ताल या दुर्भावनाजन्य कृत्य, भूकम्प, अग्नि और / या आघात, बाढ़, आप्लावन, झंझावात, चक्रवात बर्गलरी गृहभेदन और / या चोरी और/बाह्य दुर्घटना से तथा अन्य सदृश्य आपदाओं से हानि या क्षति तथा विधिक दायित्व रुपये 10,000/- तक सीमित है।

विशेषाधिकारी :- प्रत्येक हानि पर प्रथम रुपये 10/- देय नहीं होगा परन्तु रुपये 10/- से अधिक की हानि होने पर कम्पनी पूरी राशि के लिए दायी होगी।

खण्ड VIII बैगेज बीमा - बीमाधारक के भारत में कहीं भी दौरे या छुट्टी पर यात्रा करते समय उसके अनुषंगी सामान की दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुई हानि या क्षति।

खण्ड IX व्यक्तिगत दुर्घटना - अनुसूची में निर्दिष्ट दायित्व की सीमाओं के अधीन अनुसूची में नामित बीमाधारक की आकस्मिक, हिंसात्मक, बाह्य तथा दृष्ट कारणों से हुई मृत्यु या शारीरिक चोट।

खण्ड (IX) व्यक्तिगत दुर्घटना के अन्तर्गत लाभ तालिका निम्नांकित है :-

HOUSEHOLDER'S INSURANCE (General Information)

HOUSEHOLDERS INSURANCE POLICY is designed to cater to the requirements of the Householder by combining under a Single Policy a number of contingencies which are otherwise covered separately. The Policy covers as under :

SECTION I : (A) BUILDING OF CLASS 'A' CONSTRUCTION ONLY & (B) CONTENTS : Against Fire, Lighting, Explosion of gas in domestic appliances, bursting and overflowing of water tanks apparatus or pipes , aircraft or articles dropped therefrom riot and strike, Earthquake (Fire and / or Shock)malicious act,flood,induration,storm,cyclon,subsidence and landslide (including Rockslide)damage,impact damage.

CLASS 'A' CONSTRUCTION :

Building shall have external wall (s) of stone/ Bricks/ Concrete Blocks / Asbestos Sheets Cladding and or Metal Sheets Cladding Glass Panel / Partly or fully open sided and roof of R.C.C. / Masonry / Asbestos Concrete Sheets / Metal Sheets / Tiles / Wooden Shingles or Boardings on R.C.C. / Steel / Wooden frame-work.

N.B.: 1. Thin layer of grass ,hay or reeds on incombustible roofing is permitted
2. Use of Thermosetting resin fibre glass reinforced sheets is permitted for skylights.

SECTION II : BURGLARY AND HOUSE BREAKING LARCENY OR THEFT : Loss of damage to property contained in the premises occupied by the insured.

SECTION III : ALL RISK : Jewellery and Valuables against loss or damage by accident or misfortune whilst anywhere in India subject to limit of liability specified in the schedule.

SECTION IV : PLATE GLASS : Fixed plate Glass against accidental damage subject to limit of liability specified in the schedule.

SECTION V : BREAKDOWN OF DOMESTIC APPLIANCES : Damage caused by and/or solely due to mechanical and/or electrical breakdown of domestic electrical, electronic or mechanical appliances,apparatus or gadgets.

SECTION VI : T.V.SET : Loss of or damage to television set by fire , lightening, explosion of gas in domestic appliances,bursting and overflowing of water tanks, aircraft and articles dropped therefrom,earthquake,fire and/or shock,flood, inundation,storm,cyclone and like perils, riot,strike or malicious act,burglary or house-breaking or theft, accidental external means and mechanical or electrical breakdown. Legal liability limited to Rs. 25,000 and damage to insured's own property due to collapse of antenna upto Rs.3,000/-

SECTION VII : PEDAL CYCLES : loss or damage to due to fire , lightning,external explosion,riot and strike or malicious act, earthquake, fire and/or shock, flood, inundation,storm,cyclone and other like perils,burglery,housebreking and/or theft and/or external accident,also legal liability subject to limit of Rs.10,000/-

Franchise : The first Rs.10/-is not payable for each and every loss but the company will be liable for loss in full if it exceeds Rs. 10/-

SECTION VIII : BAGGAGE INSURANCE : Loss or damage to insured's accompanied baggage by accident or misfortune whilst the insured is travelling on tour or holiday anywhere in India.

SECTION IX : PERSONAL ACCIDENT : Death or bodily injury by accidental, violet, external and visible means to the insured persons named in the schedule and subject to limits as specified in the schedule.

Table of Benefits under Section No. (IX) PERSONAL ACCIDENT, are as under :

IX व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	नाम Name	आयु Age	व्यवसाय Occupation	प्रस्तावक से रिश्ता Relationship with Proposer	समनुदेशिती का नाम Name of Assignee	वर्तमान दुर्बलता/ अशक्तता का विवरण Details of Existing Infirmary/disability	विकल्प दिये लाभों की तालिका Table of benefits opted	प्रशुल्क के अनुसार As per Tariff
	1.							
	2.							
	3.							
	नोट : (i) लाभ तालिका के लिए सूचना शीट देखें NOTE : (i) for table of benefit see informantion sheet. (ii) मृत्यु की दशा में लाभ के समानुदेशन के लिए (पिछले पृष्ठ पर) (ii) for assingment of benefit in case of death (Please see back)							
X सार्वजनिक दायित्व Public Liability	(क)	सार्वजनिक दायित्व						0.50
	A)	Public Liability						प्रशुल्क के अनुसार As per Tariff
	(ख) B)	क. मु. दायित्व (घरेलू नौकर के लिए) W.C. Liability (for domestic servant)						

कुल प्रीमियम TOTAL PREMIUM रु./Rs.		
घटाएँ : 4 खण्डों से अधिक का बीमा संरक्षण करने के लिए छूट Less : Discount for covering more than 4 Sections	% रु % Rs.	
निवल प्रीमियम NET PREMIUM		
नोट : जब तक कम्पनी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार न कर लिया गया हो तथा प्रीमियम का पूरा भुगतान न हुआ हो तब तक कम्पनी का दायित्व प्रारंभ नहीं होगा NOTE : The liability of the Company does not commence until the proposal has been accepted by the Company and the full premium paid.		

मै/हम एतद्वारा यह घोषित करता हूँ /करते हैं कि इसमें दिये गये विवरण सत्य तथा ठीक है और कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपायी नहीं गयी है या गलतबानी नहीं की गयी है या गलत रूप से दर्शाया नहीं गया है तथा कंपनी की मानक पॉलिसी के हिस्से के रूप में यह प्रस्ताव एवं अनुसूची मेरे/हमारे तथा बीमा कंपनी के बीच संविदा के आधार होंगे। मै/हम यह भी घोषित करता हूँ/ करते है कि इसमें उल्लिखित बीमा राशि यहां वर्णित सम्पत्ति के पूरे मूल्य को प्रदर्शित करती है

I/we hereby declare that the particulars contained herein are true and correct and that no material fact has been withheld, Misstated or Misrepresented and also that this proposal cum schedule forming part of the Company's Standard policy shall be the basis of contract between me/us and the Insurance Company. I/We further declare that the sum insured herein represent the full value of the property described herein.

स्थान Place
दिनांक DATE

प्रस्तावक के हस्ताक्षर Signature of the Proposer

व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के लिए समनुदेशन धारा-खण्ड - IX
ASSIGNMENT CLAUSE FOR PERSONAL ACCIDENT INSURANCE SECTION - IX

मै,
एतद्वारा मेरी मृत्यु होने की दशा में युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड
do hereby assign the money payable in the event of my death by the

द्वारा देय धन राशि का समनुदेशन
United India Insurance Co. Ltd. to

(बीमाधारक के साथ रिश्ता) (relation to the insured)

के पक्ष में करता / करती हूँ कि उसके द्वारा दी गयी रसीद कम्पनी के प्रति पर्याप्त उन्मोचन होगी .
and I further declare that his/her receipt shall be sufficient discharge to the Company.

दिनांक / Dated this
day of
20
स्थान / at

साक्षी / Witness

1) नाम / Name

2) पता / Address

प्रस्तावक के हस्ताक्षर
Signature of the Proposer

(बीमा कम्पनी द्वारा भरा जाए) (TO BE COMPLETED BY INSURANCE COMPANY)

विशेष शर्त : बीमा संरक्षण इसमें विहित उपरोक्त खण्ड क्र.
को लागू होंगे जिसके साक्ष्यांकन में कम्पनी द्वारा तथा उसके एवज् में हस्ताक्षर किए गए.
SPECIAL CONDITION : Insurance cover herein applies to section Nos.
above in witness whereof signed by and on behalf of the company.

कार्यालय का पता / OFFICE ADDRESS

कुते युनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कं लि.
FOR UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD.

दिनांक Date

प्रधिकृत हस्ताक्षरी Authorised Signatory

लाभ क्र. Benefit No.	विवरण DESCRIPTION	तालिका Table	बीमा सुरक्षाप्राप्त लाभ Benefits covered	दर प्रति हजार Rate per Mille		
				जोखिम समूह I Risk Group I	जोखिम समूह II Risk Group II	जोखिम समूह III Risk Group III
1.	केवल मृत्यु Death only	I	मूल बीमा राशि का 100% (100% of Capital Sum Insured)	0.45	0.60	0.90
2.	दोनों हाथों, दोनों आँखों या एक हाथ तथा एक आँख की दृष्टि खोना Loss of Two Limbs Two Eyes or One Limb and One Eye (100% of Capital Sum Insured)		मूल बीमा राशि का 100%			
3.	एक हाथ की हानि या एक आँख की दृष्टि खोना Loss of One Limb or One Eye		मूल बीमा राशि का 50% (50% of Capital Sum Insured)			
4.	उपरोक्त के अलावा जख्मों से हुई स्थायी पूर्ण अपंगता Permanent Total Disbuerment from injuries other then named above	II	मूल बीमा राशि का 100% (100% of Capital Sum Insured)	0.65	0.90	1.30
5.	स्थायी आंशिक अपंगता Permenent Partial Disablement	III	% पोलिसी की अनुसूची के अनुसार % as per schedule of policy	0.95	1.25	1.75
6.	अस्थायी पूर्ण अपंगता पूंजीगत बीमित लागत 104 सप्ताह तक (अधिकतम साप्ताहिक लाभ रु. 3000/-) Tempopry Total Disablement upto 104 Weeks (maximum weekly benefit not exceeding Rs. 3000/-)	IV	मूल बीमा राशि का 1% 1% of Capital Sum Insured	1.50	2.00	3.00

जोखिम समूह I :- लेखापाल, डॉक्टर, वकील, वास्तुविद्, परामर्शक इंजीनियर, अध्यापक, बैंकर्स, प्रशासकिय कार्य से जुड़े व्यक्ति, इसी प्रकार के जोखिमों से प्राथमिक रूप से जुड़े व्यक्ति.

जोखिम समूह II :- बिल्डर्स, केवल अधीक्षक रूप में कार्यरत इंजीनियर तथा ठेकेदार, पशु-चिकित्सक, मोटर कार तथा हल्के मोटर वाहन को चलाने वाले वेतनभोगी ड्राइवर तथा (शारीरिक श्रम से जुड़े व्यक्तियों को छोड़कर) इसी प्रकार के जोखिमों से जुड़े व्यक्ति
शारीरिक श्रमों से कार्यरत सभी व्यक्ति (समूह III में आनेवाले व्यक्ति छोड़कर) नकद वहन करनेवाले कर्मचारी गैरेज तथा मोटर मैकेनिक, मशीन चालक, ट्रक तथा लॉरी के ड्राइवर व्यावसायिक कसरत तथा खिलाड़ी, काष्ठ शिल्प मशीनचालक तथा इसीप्रकार के जोखिमों में कार्यरत व्यक्ति

जोखिम समूह III :- भूमिगत खदानों विस्फोटक, बारुदखाना में कार्यरत व्यक्ति उच्चदाब वितरित होने वाले विद्युत संस्थापन से जुड़े श्रमिक जौकी, सर्कस, चक्के तथा घुड़दौड़ में काम करनेवाले व्यक्ति, बड़े जानवरों के शिकारी, पर्वतारोहण शितकालिन खेल, स्कीइंग, आइस हॉकी, बलूनिंग, हैन्डग्लाइडिंग, रिवरराफ्टिंग, पोलो तथा इसीप्रकार के जोखिमों में कार्यरत/ गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति

अतिरिक्त संरक्षण :-

- अतिरिक्त प्रीमियम पर मूल बीमा राशि के 10% तक के संरक्षण चिकित्सा व्यय (दुर्घटनासे उत्पन्न) या स्वीकार्य दावे की 50% राशि जो भी कम हो.
- मूल बीमा राशि के अधिकतम 2% या रुपये 2500/- जो भी कम हो, के अस्थायी बीमाधारक के मृतक शरीर (दुर्घटना से मृत्यु होने पर) को उसके निवास स्थान पर ले जाने का वास्तविक खर्च.
- परिवार पेंकेज आवरण निम्न रूप में 5% छूट !
क. कमानेवाला सदस्य (बीमित व्यक्ति) तथा पति / पत्नी, प्रत्येक के लिए मूल यदि कमाते है बीमित राशि का 100%
ख. पति / पत्नी (यदि कमानेवाले नहीं है) मूल बीमित राशि के 50% या रु 1 लाख जो भी कम है
ग. बच्चे प्रति बच्चा मूल बीमित राशि का 25% या रु. 50,000 हजार जो भी कम है.

नोट :- बच्चे के लिए, आवरण लाभ 1 से 5 तक सीमित होगा.

खण्ड X सार्वजनिक दायित्व - शारीरिक जख्म या अनुसूची में निर्दिष्ट राशि तक सीमित तृतीय पक्ष के संपत्ति की हानि या क्षति के लिए बीमाधारक का विधिक दायित्व और बीमाधारक के परिसर में कार्यरत धरेलु नौकर के प्रति कर्मकार क्षतिपूर्ति दायित्व.

-समूह छूट-

खण्ड I- बी अनिवार्य है

- 4 से 6 खण्डों तक के प्रकरण में (प्रशुल्क दर लागू होनेवाले खण्डों सहित) 15% केवल गैर- प्रशुल्क दरों पर
6 से अधिक खण्डों के प्रकरण में (प्रशुल्क दर लागू होनेवाले खण्डों सहित) 20% केवल गैर- प्रशुल्क दरों पर

वर्जित जोखिम :- (उदाहरणात्मक किन्तु व्याख्यात्मक नहीं) यह पॉलिसी अन्य बातों के साथ-साथ युद्ध, गृह युद्ध तथा उसी समान कार्यकलापों मूल्य-हास, सामान्य टूट-फूट, परिणामी हानी या आदि से उत्पन्न हानि या क्षति को संरक्षण प्रदान नहीं करती है.

उपयुक्त जानकारी प्रस्तावित बीमा संरक्षण की भूमिका मात्र है तथा अधिक जानकारी हेतु कम्पनी के किसी भी कार्यालय से सम्पर्क करें

नोट :- आवेदन पर प्रीमियम राशि निर्धारित की जाएगी.

- छूट का निषेध -

यथासंशोधित बीमा व अधिनियम 1938 की धारा 41 के अनुसार

- कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को भारत में जीवन या सम्पत्ति के जोखिम के सम्बन्ध में बीमा पॉलिसी लेने अथवा उसका नवीकरण करवाने अथवा उसे चालू रखने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर देय पूरे कमीशन पर या उसके भाग पर कोई छूट न देगा न देने का प्रस्ताव करेगा अथवा पॉलिसी में, दिए गये प्रीमियम पर कोई छूट न देगा, न देने का प्रस्ताव करेगा और कोई भी व्यक्ति पॉलिसी लेने या नवीकरण करवाने या उसे चालू रखने के लिए ऐसी कोई छूट स्वीकार नहीं करेगा, जो बीमाकर्ता द्वारा प्रकाशित विवरणों का या सारणियों के अनुसार अनुमत न हो.
- इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति पाँच सौ रुपये तक के लिए दण्डनीय होगा.

RISK GROUP I : Accountants, Doctors, Lawyers, Architects Consulting Engineers, Teachers, Bankers, Person Engaged in Administrative functions, Persons primarily engaged in occupations of similar hazard.

RISK GROUP II : Builders, Contractors and Engineers engaged in superintending functions only, Veterinary Doctors, Paid drivers of Motor cars and Light Motor Vehicles and persons engaged in occupation of similar hazard and not engaged in manual labour.

All persons engaged in Manual labour (except those falling under Group II) Cash carrying employees, Garage and Motor mechanics, Machine Operators, Drivers of truck or Lorries and other Heavy vehicles, Professional athletes and Sportsman, woodworking machinist and persons engaged in occupations of similar hazard

RISK GROUP III : Persons working in underground mines, explosives, magazines, workers involved in electrical installation with high tersion supply, Jockeys, Circus personnel, Persons engaged in activities like racing on wheels or horseback, big game hunting, Mountaineering, wintersports, skiing, ice hockey, ballooning, hand gliding, rивerrafting, polo and persons engaged in occupation/activities of similar hazard.

ADDITIONAL COVERS

- Medical Expenses (arising out of an accident) upto 10% of the capital SumInsured or 50% of the admissible claim whichever is lower, at additional premium.
- Actual expenses in respect of carriage of dead body. (due to accident) of the insured to the place of his/her residence, subject to a maximum of 2 % of the C.S.I. or Rs. 2500/- whichever is lower.
- Family Packages Cover as under @ 5% discount :
(a) Earning Member (Person Insured) and spouse ; if earning100% of C.S.I. each
(b) Spouse (if not earning)..... 50% of C.S.I. or Rs. 1 Lakh whichever is lower.
(c) Children 25% of C.S.I. or Rs. 50,000/- whichever is lower per child.

NOTE : 1, For children, the cover will be limited to Benefit 1 to 5.

SECTION X : PUBLIC LIABILITY : Insured's legal liability for bodily injury to or loss of or damage to property of third party limited to amount specified in the schedule and Workmen's Compensation liability to domestic servants engaged in the Insured's premises.

Group of Discount

Section 1-B is compulsory

Where more than 4 to 6 Sections (including tariff rated section) 15% on non-Tariff rates only.

Where more than 6 Section (including tariff rated sections) 20% 9on non-Tariff rates only.

RISK EXCEPTED : (illustrative and not exhaustive) The Policy does not cover inter-alia loss or damage by War, Civil War and the like depreciation, Wear and Tear, consequential loss etc.

The foregoing is only a broad indication of the cover effected and for further details please refer to any office of the Company.

NOTE : The premium will be quoted on application

PROHIBITION OF REBATES

Section 41 of the Insurance Act, 1938 as amended reads as follows.

- No persons shall allow or offer to allow either directly or indirectly as an inducement to any person to take out or renew or continue an insurance in respect of any kind of risk relating to lives or property in India any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate of the premium shown on the Policy nor shall any person taking out or renewing of continuing a Policy accept any rebate expect such rebate, as may be allowed in accordance with the published prospectuses or tables of the insurer.
- Any person making default in complying with the provisions of this section shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.